रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273213
CG-DL-E-06062026-273213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]	**नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948**
No. 383]	**NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948**

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 425(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में स्टाफ कार चालक ग्रेड-I, स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, स्टाफ कार चालक ग्रेड-I, स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन.-** इन नियमों के लागू होने की तारीख को, जो व्यक्ति 'स्टाफ़ कार चालक ग्रेड-I', 'स्टाफ़ कार चालक ग्रेड-II' या 'स्टाफ़ कार चालक (साधारण ग्रेड)' के पद पर नियमित या दीर्घकालिक आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें इन नियमों के

प्रावधानों के अधीन विधिवत नियुक्त किए गए समझे जाएंगे; और उनके द्वारा उक्त प्रवर्तन की तारीख से पूर्व उक्त पद पर की गई सेवा को परिवीक्षा, स्थायीकरण, वरिष्ठता या प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में वेतन मान स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तिओं की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार चालक ग्रेड-I	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी।	स्तर - 5 (29200-92300 रु.)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक ग्रेड-II के स्तर - 4 (25500 - 81100 रुपये) में वेतन मैट्रिक्स में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ या स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ और सरकार द्वारा निर्धारित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण करने पर प्रोन्नति प्राप्त की जा सकती है। **टिप्पण-1.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) – सदस्य ; और 3. अवर सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग – सदस्य।	लागू नहीं।

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण-2.-** उम्मीदवारों को पद के लिए निर्धारित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड -II	1* (* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर - 4 (25500 – 81100 रु)।	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के लेवल - 2 (19900 – 63200 रुपये) में वेतनमान के अनुसार नौ वर्ष की नियमित सेवा और सरकार द्वारा निर्धारित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **टिप्पण-1.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) – सदस्य ; और 3. अवर सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग – सदस्य।	लागू नहीं।

कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण-2.-** उम्मीदवारों को पद के लिए निर्धारित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)।	1* (2026) **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर - 2 (19900 – 63200 रु)।	लागू नहीं।

(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच की आयु (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, चालीस वर्ष तक की आयु वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू।) **टिप्पण.-** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा ज़िले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**आवश्यक:** (i) मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना; (ii) मोटर क्रिया विधि की जानकारी (प्रतियोगी को गाड़ी में छोटी-मोटी खराबी दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) कम से कम तीन साल तक मोटर कार चलाने का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** होम गार्ड या नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1.-** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता शिथिल की जा सकती है; **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के

	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए या पुनर्नियोजित किए गए कर्मचारियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिनके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: पशुपालन विभाग या उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपये) के नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कारों के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति है, चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कारों को चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए, यदि ऐसा नहीं है, तो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर कार्यरत अधिकारियों या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपये) के नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं। **सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य; और 3. पशुपालन एवं दुधारू पालन विभाग के अवर सचिव - सदस्य।	लागू नहीं।

तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हे सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी		

[फा. सं. A-12018/02/2023प्रशा.I/E-24456]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 425(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver Grade-I, Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Staff Car Driver Grade-I, Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution. -** The incumbent holding the post of Staff Car Driver Grade-I or Staff Car Driver Grade-II or Staff Car Driver (Ordinary Grade) on regular or long term basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been duly appointed under the provisions of these rules and the services rendered by such person in the said post before the said commencement shall be taken into account for the purposes of probation, confirmation, seniority or promotion.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. -** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal laws applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Staff Car Driver Grade-I.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 (Rs. 29200-92300).	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level - 4 (Rs. 25500 – 81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.-** Candidates are required to pass trade test prescribed for the post.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Director or Deputy Secretary (Administration) - Chairman; (2) Under Secretary (Administration) – Member; and (3) Under Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver Grade-II.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 4 (Rs. 25500 –81100).	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level - 2 (Rs. 19900 – 63200) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed trade test, specified by the Government. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Director or Deputy Secretary (Administration) - Chairman; (2) Under Secretary (Administration) - Member; and (3) Under Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Member.	Not applicable.

considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.-** Candidates are required to pass trade test prescribed for the post.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 2 (Rs. 19900 – 63200).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years (Relatable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential** : (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor- defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10th standard. **Desirable :** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority; **Note 2.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in the Department of Animal Husbandry or its subordinate offices, who possess valid driving license for Motor Cars on the basis of Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in other Ministries or Departments of Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed under column (7) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary(Administration) - Chairman; 2. Under Secretary (Administration) - Member; and 3. Under Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2023-Admin.I/E-24456]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.06 11:25:05 +05'30'